

कार्यालय महानिदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :- प्रशि0 / प्रको0 / ए0एन0एम0 / प्रशिक्षण-2023 / 1315

लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2023

:- विज्ञापन :-

वर्ष-2023 में सहायक नर्सिंग एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) के 02 वर्षीय प्रशिक्षण के लिये प्रदेश के 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट :- <https://www.dgmhup.gov.in> पोर्टल पर दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

शैक्षिक अर्हताये :-	<ul style="list-style-type: none"> ● माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। ● इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में, अन्तरक्षित श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगी। ● आशा/संगिनी अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हों, केंद्र संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत, संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
आवेदन शुल्क :-	<ul style="list-style-type: none"> ● सामान्य वर्ग के लिये ₹0-200/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ₹0-100/- निर्धारित है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान आनलाइन किया जायेगा।
आरक्षण :-	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80 प्रतिशत ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हों। 2. प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20 प्रतिशत ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्त्री/आशा संगनियों जिन्होंने कम से कम 05 वर्ष आशा कार्यकर्त्री/आशा संगनियों के रूप में विभाग/एन0एच0एम0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो, हेतु आरक्षित होगा। लेकिन, यदि 20 प्रतिशत के अंतर्गत पात्र आशा कार्यकर्त्री/संगिनी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है, तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से घयन किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिये आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश में निहित प्राविधानों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी। 3. उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
आयु सीमा :-	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु विगत वर्ष 31 दिसम्बर, 2022 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग में शासनादेशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
घयन :-	अभ्यर्थी के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची (मिरिट) पर उत्तर प्रदेश सहायक नर्सिंग एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश-2022, दिनांक 28.04.2022 के आधार पर किया जायेगा।

ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संबंधी समस्त अनुदेश एवं निर्देशों के साथ विस्तृत जानकारियां विभागीय वेबसाइट :- <https://www.dgmhup.gov.in> पर उपलब्ध होगा।

www.upgov.nic.in
Upid- 191259 Dt.16.06.2023

(डा० दीपा त्यागी)

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Lucknow

-:Advertisement:-

**Office of the Director General (Training),
Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh, Lucknow**

Letter No:-Training Cell / GNM / Training / 2023/1318

Lucknow, Date 15.06.2023

Online applications are invited for 3 years training of General Nurse Midwifery against the vacant 453 seats for the year 2023 at 9 Govt. Training Centers w.e.f. 01.07.2023 to 31.07.2023 on departmental websites <https://www.dgmhup.gov.in>

Educational Qualification	<ul style="list-style-type: none">● Intermediate examination with 40% marks in ENGLISH is mandatory.● Candidate should have passed High School and Intermediate examinations with science in High School and Intermediate examination, by U.P Board or equivalent. <p>or</p> <p>10+2 professional ANM training (Amended after 2001) from Schools/Institutions affiliated with Indian Nursing council and registered with State Medical Faculty of Uttar Pradesh Lucknow</p> <p>Candidates (General/OBC) should have minimum aggregate of 45% marks and candidates (SC/ST) should have minimum aggregate of 40% marks in 10+2 U.P. Board or equivalent Board.</p>
Application Fee	For General Category Rs. 200/- and for SC/ST & OBC category Rs. 100/- is fixed. Fee to be paid online, while applying for application.
Reservation	1- 10% seats are reserved for Male Candidates 2- Out of remaining seats, 15% seats will be reserved for ANM who are serving for last 5 years in Medical & Health Department/ NHM/ NRHM of Uttar Pradesh. But, if above mentioned 15% seats are not filled by eligible candidates then remaining seats will be filled by remaining eligible applicants. Reservation in training for SC/ST/OBC and others will be applied according to the Government Order. 3- Applicant form outside the State of Uttar Pradesh will not be given the benefit of reservation.
Age Limit	As on 31.12.2022 age of candidates should be 17 years to 35 years. But age limit for SC/ST & other will be relaxed according to the Government Order.
Selection	Merit will be prepared on the basis of average of the % marks obtained in High School and Intermediate examination.

All the concern Government Orders and concern Instructions and detailed information will be available at departmental websites <https://www.dgmhup.gov.in>

Sign/-

(Dr. Deepa Tyagi)

Director General (Training), Medical Health
& Family Welfare, Uttar Pradesh, Lucknow

UPID-191258/16.06.2023
www.upgov.nic.in